संख्या:84/2026/374/35-1-2026/35-1099/8/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक: 21 अप्रैल, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-25/2026/293बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/8/2025 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-झांसी में 47 कार्यों की **रू. 4200.52 लाख** की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू. 2017.00 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था परियोजना के सम्मुख अंकित की गयी है।

2- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक- 40 (विकास खण्ड बामौर में ग्राम सैगुवां-परसुआ से सिया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य) एवं 41 (विकास खण्ड गुरसरांय ग्राम मोतीकटरा में सामुदायिक भवन/विवाह घर निर्माण कार्य) पर अंकित कार्यों की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को परिवर्तित कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:84/2026/374(1)/35-1-2026/35-1099/8/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, झांसी मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
14- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लोक निर्माण विभाग, झांसी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in